प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (पावरग्रिड)– वैशाली–145/2013–2500/रा0, पटना–15, दिनांक:– 15/10/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग, पटना
(भू–अर्जन निदेशालय)
–: अधिघोषणा :–

अधिघोषणा सं0 :– दिनांक :–

चुकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम **खोकसा बुजुर्ग** ,प्रगना– **विसारा**, थाना– देसरी, थाना नं0– **440**, जिला वैशाली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि पूर्वोक्त ग्राम **खोकसा बुजुर्ग** के भीतर कमोवेश **01 बीघा 09 कट्ठा 01 धुर** जो मानक माप से **0.48 एकड़** के बराबर होता है, एक भूखण्ड अपेक्षित है, जिसका खेसरा संख्या एंव चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

खेसरा अनुसूची

पुर्ण खेसरा सं0 – **437,438,439,440 एवं 441**

सीमा अनुसूची
(चौहद्दी)

उत्तर : – 435 पूर्ण, 441 पूर्ण
दक्षिण :– 471, 472
पुरब : – 406 अंश 407 पूर्ण, 408 पूर्ण, 409, 410 (अंश)
पश्चिम :– 436

यह अधिघोषणा भू–अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 6 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक : 2500/रा0 दिनांक : 15-10-13

प्रतिलिपि : निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्त्ता, वैशाली/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू–अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, हाजीपुर/महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/13

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

समाहर्त्ता
वैशाली